न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07/2016

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	प्रदीप पुत्र हिरालाल जाति खत्री निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र दवे एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 31.08.2015 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त दोपहर 1.00 बजे मैंसर्स शक्ति मसाला उद्योग अजीत रोड़ समदड़ी जिला बाड़मेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम प्रदीप पुत्र हिरालाल जाति खत्री निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में धनिया पाउडर (खुला) (500 ग्राम) एक बर्तन में करीब 10 किलो भरा हुआ पाया गया। उक्त धनिया पाउडर में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 513 के द्वारा रूपये 290/– नगद अदा कर आधा–आधा किलो कुल दो किलो क्रय किया एवं रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.562 खाध पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। उक्त धनिया पाउडर को 04 सुटेबल

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कन्टेनर में बराबर–बराकर मात्रा में भरकर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी–562 नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–562 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ धनिया पाउडर की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/652/एक्ट /2015/651 दिनांक 14.09.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में खाध पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना पी–562 containing extraneous matter पाया गया। जांच रिपोर्ट में containing extraneous matter पाये गये खाध पदार्थ धनिया पाउडर का विक्रय करना खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना,

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी–562 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र दवे अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. अप्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। खाद्य निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी के रूबरू किसी भी प्रकार के धनिया पाउडर की सेम्पलिंग नहीं की गई। जिन दो मौतबिर के सामने सेम्पलिंग करना दर्शाया गया है वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण स्वतंत्र गवाह के अभाव में की गई कार्यवाही उचित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किसी भी स्थिति में माल को सीज करने का अधिकार नहीं है। लम्बे समय तक माल को रोके रखने से विधिनुसार अप्रार्थी के अधिकारो का हनन हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने जाहिर किया कि दिनांक 31.08.2015 को जांच के दौरान् धनिया पावडर में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की गई जॉच में नमूना पी–562 containing extraneous matter पाया गया जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

5. अप्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान् तर्क किया कि अप्रार्थी का खाद्य मसाला पिसनें का व्यवसाय है। एक तरह का मसाला पिसने के पश्चात उसी मसाला चक्की में दूसरे तरह का मसाला पिसे जाने पर उसका थोड़ा का अंश पहले पिसे गये मसाले में आना स्वाभाविक है,। इस प्रकरण में मसालो की पिसाई के दौरान धनिया पावडर में हल्दी का अंश आना मिलावट की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/652/एक्ट/2015/651 दिनांक 14.09.2015 अनुसार अप्रार्थी द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ धनिया पावडर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

का सेंपल जॉच में containing extraneous matter का पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रदीप द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 54 में containing extraneous matter पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत अभियुक्त प्रदीप पर रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 08.11.2016 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

आदेश आज दिनांक 08.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर